न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2019

बउनवान

ठाकुरलाल आयु 41 साल पुत्र श्री रामचरण मेहता जाति–किराड
निवासी–महोदरा तहसील–शाहबाद जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां
जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक–03.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्राधिकार पत्र निलंबन आदेश दिनांक 29.10.2004 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत, महोदरा तहसील–शाहबाद का उचित मूल्य दूकानदार है। प्रार्थी को दिनांक 26.10.2004 को तहसीलदार शाहबाद ने नोटिस दिया था कि अन्दर 7 योम मे संलग्न कूपन सूची के अनुसार किन–किन उपभोक्ताओं को कूपन के पेटे गेहूँ का भुगतान किया गया है, कार्यालय में उपस्थित होकर उपभोक्ता सूची के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करे। अन्यथा पुलिस कार्यवाहीं अमल में लायी जावेगी। अपीलांट का नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले हीं दिनांक 29.10.2004 को उपखण्ड अधिकारी,शाहबाद ने लाईसेंस निलंबित कर दिया।

2– इस संदर्भ में जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा दिनांक 22.09.2015 को उचित मूल्य दूकान ग्राम पंचायत महोदरा प्रथम चालू कराने के संबंध में आदेश दिया है कि प्रवर्तन अधिकारी,शाहबाद विस्तृत जॉच कर, रिपोर्ट पेश करे। परन्तु रेस्पो0 जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा आज तक अपीलांट का लाईसेंस संख्या 236/2002 बहाल नहीं किया। फलत् विवश होकर अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज तक लाईसेंस बहाल नहीं किया जाना कानूनी तथ्यों के विपरीत है। जबकि धारा, 8(2) राज. खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के अनुसार 90 दिन तक लाईसेंस निलंबित रखा जा सकता है। इसलिये अपीलांट का लाईसेंस बहाल किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। अतः अपील की अवधि में से डी0एस0ओ0 कार्यालय में समय–समय पर आवेदन किये जाने वाले समय को मुजरा किये जाने पर

अपील अवधि मध्य पेश की गयी है। इसके संबंध में पृथक से धारा–5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का लाईसेंस नं0 236/2002 उचित मूल्य दूकान महोदरा तहसील–शाहबाद बहाल किया जाकर सप्लाई चालू किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर, रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तत्पश्चात् बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

4– बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत महोदरा प्रथम तहसील–शाहबाद का उचित मूल्य दूकानदार है। अपीलांट को तहसीलदार,शाहबाद ने अकाल राहत कार्य के दौरान श्रमिको को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कूपनों पर गेहूँ के वितरण की व्यवस्था किये जाने पर, कूपनों पर फर्जी तरीके से गेहूँ का भुगतान करने के कयास के आधार पर, कूपन सूची के आधार पर भुगतान किये गये उपभोक्ताओं को गेहूँ की सूची प्रस्तुत करने का दिनांक 26.10.2004 को नोटिस दिया तथा तीन दिवस पश्चात् हीं बिना जॉच पडताल किये हीं तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना हीं एकपक्षीय कार्यवाहीं करते हुये दिनांक 29.10.2004 को उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। फौजदारी प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां में दिनांक 27.6.2013 को एफ.आई. लग चुकी है। माननीय न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व कोई आरोप सिद्व नहीं माने गय है।

5– अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी, बारां के यहॉ माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्राधिकार पत्र बहाल करने हेतु निवेदन किये जाने पर, जिला रसद अधिकारी,बारां ने मामले का परीक्षण कर दिनांक 22.09.2015 को प्रवर्तन अधिकारी, शाहबाद को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर, विस्तृत रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। किन्तु ना तो प्रवर्तन अधिकारी,शाहबाद द्वारा जिला रसद अधिकारी,बारां को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी ना हीं जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा आदिनांक तक अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। जबकि उसपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अपीलांट ने मजबूरन अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट के पास उचित मूल्य दूकान के अतिरिक्त परिवार पालन का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः अपीलांट पर सहानूभूतिपूर्वक विचार कर, निलंबित प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर राशन सप्लाई बहाल दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

6– इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट डीलर ने वर्ष 2004 में अकाल राहत के दौरान श्रमिको को कूपन के बदले गेहूँ वितरण में अनियमितता व गबन किया गया है। इसी आधार पर तत्समय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। डीलर के विरूद्व उक्त गबन किये जाने पर फौजदारी का प्रकरण पंजीबद्व हुआ है, जो लंबित होने से डीलर का लाईसेंस बहाल नहीं किया गया है। अपीलांट ने उक्त अपील वर्ष 2004 के निलंबन आदेश के विरूद्व पेश की गयी है, जो

लगभग 15 वर्ष पश्चात् मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान में ग्राम पंचायत महोदरा पर नवीन डीलर की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्तमान में कोई रिक्ती नहीं है। अपीलांट पर गम्भीर आरोप प्रमाणित है। इसलिये प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट ने अकाल राहत के दौरान श्रमिकों को कूपन पर गेहूॅ वितरण में कोई अनिमितता नहीं की है तथा फौजदारी प्रकरण में भी माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2013 से दोषमुक्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलांट प्राधिकार पत्र बहाल कराने का अधिकारी है। इसके विपरीत पेरोकार रसद का तर्क है कि अपीलांट ने अपील मियाद बहार पेश की गयी है तथा डीलर पर अकाल राहत के दौरान श्रमिकों को कूपनों पर गेहूॅ वितरण में फर्जी तरीके से अनियमितता एवं गबन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा अनियमिताओं के आधार पर दिनांक 26.10.2004 को डीलर को दोषी पाये जाने पर, प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। तभी से डीलर लगातार निलंबित चल रहा है। अपीलांट ने इस आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 07.06.2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो लगभग 15 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है। अपीलांट ने अपील मे मियाद के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा—5 मियाद अधिनियम में विलम्ब के संबंध में जो कारण अंकित किये गये है, उचित प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील मियाद बहार पेश की गयी है।

8— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.11.11 10:07:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: